

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख झापांक-5297 दिनांक-28.06.2023 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-04.07.2023 में मद संख्या-04 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

4. बिहार वास्तुविद् सेवा नियमावली-2014 में संशोधन करते हुए संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता दिये जाने के संबंध में।

4. स्वीकृत।

(निशीथ वर्मा)

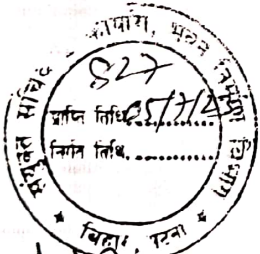
सरकार के संयुक्त सचिव।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

कुमार राय

(राजेश कुमार सिंह)

प्रपदां शं

406/7/23



विभाग

25/7/23

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधिसू-भवन/स्था-02-विविध-932/2016.....5692(11)/पटना, दिनांक- 13/11/23

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार वास्तुविद् सेवा नियमावली, 2014 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। - (1) यह नियमावली "बिहार वास्तुविद् सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. बिहार वास्तुविद् सेवा नियमावली, 2014 के नियम-2(iii) का संशोधन। -
उक्त नियमावली के नियम-2(iii) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-
"2(iii) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग।"
3. बिहार वास्तुविद् सेवा नियमावली, 2014 के नियम-6 का प्रतिस्थापन। -
उक्त नियमावली के नियम-6 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :-
(i) चयन का आधार - (क) बिहार वास्तुविद् सेवा संवर्ग के मूल कोटि सहायक वास्तुविद् के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एतदर्थ आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक तथा समान पद पर संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता यदि कोई हो, की गणना कर किया जायेगा।
(ख) बिहार राज्य में अवस्थित सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) कार्यालय/संस्थान में संविदा के आधार पर सहायक वास्तुविद् के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं, को चयन में इस नियम के उप नियम (ii)(ख) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जायेगी।
(ii) अभ्यर्थियों की मेधासूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी:-

	पूर्णांक
(क) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता	75 अंक
(ख) संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 05 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में	25 अंक

369

संख्या 05 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा)	
कुल अंक	100 अंक

नोट-परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जायेगा।

अर्थात् अधिमानता अंक = (परीक्षा में प्राप्त अंक ÷ परीक्षा के कुल अंक) X 75

(iii) (क) संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता के लिए बिहार सरकार या बिहार राज्य में अवस्थित सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) कार्यालय/संस्थान में सहायक वास्तुविद् पद पर किये गये कार्य के आधार पर कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट-ऑफ डेट तक की अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।

(ख) संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित सहायक वास्तुविद् को अधिकतम उम्रसीमा में संविदा पर कार्य की गयी अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जायेगी।

(ग) संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कुमार रवि)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- भवन/स्था-02-विविध-932/2016पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- भवन/स्था-02-विविध-932/2016पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- भवन/स्था-02-विविध-932/2016 5692 (1) पटना, दिनांक- 13/7/23

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग/विधि विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/शिक्षा विभाग/गृह विभाग/स्वास्थ्य विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि०/बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०/बिहार राज्य आवास बोर्ड/भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण/बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०/बिहार राज्य पथ विकास निगम लि०/बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम/बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार/बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०/राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/7/23

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- भवन/स्था-02-विविध-932/2016 5692 (1) पटना, दिनांक- 13/7/23

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/निदेशक, अनुश्रवण/उप सचिव (स्थापना प्रभारी)/आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/7/23

सरकार के सचिव।

10/7/23

267

Government of Bihar
Building Construction Department
Notification

No. Bhawan/Estt.-02-Misc.-932/2016 5692 (Bh) Patna, Dated...13/7/23...

In exercise of Powers conferred under the proviso to Article-309 of the Constitution of India, The Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Architect Cadre Rules 2014:-

1. Short title, extent and Commencement :- (1) These Rules may be called "The Bihar Architect Cadre (Amendment) Rules, 2023"

(2) It will extend to the whole of the State of Bihar

(3) It will come into force from the immediate effect.

2. Amendment in Sub-rule 2(iii) of Bihar Architect Cadre Rule, 2014 :-

Rule 2(iii) of said Rules shall be amended as follows:-

"2(iii)" Cadre Controlling Authority means Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Building Construction Department.

3. Replacement of Sub-rule-6 of Bihar Architect Cadre Rules-2014

Sub-rule-6 will be replaced as Follows:-

(i) Basis of Selection – (A) The Selection for appointment to the posts of Assistant Architect in the basic category Bihar Architect cadre shall be made by the commission on the basis of calculation of the marks obtained in the written competitive examination conducted by the Commission and the preference of work done on the similar post on contract basis if any.

(B) Candidates having experience of working on the post of Architect on contract basis in government/non-private (central government, panchayat, municipal bodies etc.) offices/institutions under the State of Bihar, who fulfill the essential qualifications for the recruitment in this cadre, shall be given preference in selection by giving additional marks accordance with sub-rule (ii)(b) of this Rule.

- (ii) The merit list of the candidates shall be prepared on the following basis:-

	Full Marks
(a) Weightage of marks obtained in the written examination conducted by the commission.	75 Marks

(264)

(b) Maximum weightage for the working experience on contract basis - (The weightage of per working year shall be 5 marks subject to the maximum limit of 25 marks. For any fraction of year of working experience, the proportionate weightage, the marks shall be calculated by multiplying the number of working days by 5 and dividing it by 365).	25 Marks
Total	100 Marks

Note :- To calculate the weightage of the marks in the examination, the percentage of marks obtained in the examination shall be multiplied by 0.75

That is Weightage Marks = (the marks obtained in the examination ÷ Full Marks of the examination) X 75

(iii) (a) The work experience certificate of working on the post of Assistant Architect on contract basis of government / non-private (central government, panchayat, municipal bodies etc.) offices / institutions under the State of Bihar issued by Head of the Office, shall be valid for Preference. The work experience will be calculated till the period of cutoff date mentioned in the Advertisement of the Commission.

(b) Assistant Architects already employed on contract basis will be given relaxation in the upper age limit for a period equivalent to the period worked on contract.

(c) The period of working on contract basis shall be decided on the basis of the salary payment certificate issued by the concerned controlling officer.

By the order of Governor of Bihar

(Kumar Ravi)

Secretary

Memo No.:-Bhawan/Estt.-02-Misc.-932/2016

5692(E)

Patna, Dated:- 13/7/23

Copy forwarded to the Accountant General (A & E) Bihar, Birchand Patel Path, Patna/Finance (Pay Slip Cell) Department, Bihar, Patna along with two additional copies for information and necessary action.

(Kumar Ravi)

Secretary

5692(81)
Memo No.: - Bhawan/Estt.-02-Misc.-932/2016

Patna, Dated:- 13/7/23

Copy forwarded to the Officer-in-Charge, E-Gazette Section, Finance Department, Bihar, Patna along with two hard copies and CDs for publication in the Bihar Gazette.

(Kumar Ravi)

Secretary

5692(81)
Memo No.: - Bhawan/Estt.-02-Misc.-932/2016

Patna, Dated:- 13/7/23

Copy forwarded to All Departments / All Heads of Departments / Officer on Special Duty to the Chief Secretary of Bihar, Patna/ Secretary, Bihar Public Service Commission, Bihar, Patna/ General Administrative Department/ Cabinet Secretariat, Bihar, Patna /Finance Department, Bihar, Patna/Urban Development & Housing Department, Bihar, Patna/ Secretary to Lokayukt, Bihar, Patna/Managing Director, Bihar Building Construction Corporation Ltd., Bihar, Patna/Bihar Police Construction Corporation Ltd, Patna/Infrastructure Development Authority, Patna/ Bihar Medical & Infrastructure Corporation, Patna/Bihar State Housing Board, Patna/Bihar State Bridge Construction Corporation Ltd., Bihar, Patna/Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd, Patna/Bihar State Educational Infrastructure Corporation Ltd., Patna/Bihar Education Project Council, Patna/ Bihar State Road Development Corporation Ltd., Patna/Bihar State Tourism Development Corporation Ltd., Patna/Infrastructure Development Authority, Patna/ State Fire Fighting Officer-cum-Director, Bihar, Patna for information and necessary action.

(Kumar Ravi)

Secretary

5692(81)
Memo No.: - Bhawan/Estt.-02-Misc.-932/2016

Patna, Dated:- 13/7/23

Copy forwarded to Private Secretary to the Hon'ble Minister, Building Construction Department, Bihar, Patna/ Private Secretary to Secretary, Building Construction Department, Bihar, Patna/Additional Secretary, Building Construction Department, Bihar, Patna/Engineer-in-Chief-cum-Additional-cum-special secretary, Building Construction Department, Bihar, Patna/All Joint Secretaries, Building Construction Department, Bihar, Patna/All Chief Engineers, Building Construction Department, Bihar, Patna/ All Superintending Engineers/Director, Monitoring, Building Construction Department, Bihar, Patna/All Gazetted Officers Posted at Headquarter for information and necessary action.

(Kumar Ravi)

Secretary